बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(कटिहार)–76/2020...489... **पटना, दिनांक** :–24/01/2024

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 190 दिनांक 23.03.2023 द्वारा श्री प्रभाकर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01585) के विरूद्ध रैयतों से लेन–देन संबंधी विडियो वायरल होने तथा दिनांक 20.03.2023 को स्थानीय प्रभात ख़बर में छपे समाचार की सूचना के साथ विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 5930 दिनांक 21.07.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित समय पर समर्पित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण पर बंदोबस्त पदाधिकारी से इस कार्यालय के पत्रांक 6439 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा मंतव्य की मांग की गयी।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 658 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा अपने मंतव्य स्पष्ट किया गया है कि संबंधित रैयतों का शपथ पत्र तथा शिविर प्रभारी, कुर्सेला–01 उन्हें प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार के द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यो के लिए कोई भी अवैध वसूली नहीं की गयी है और जो विडियों में दिख रहा है रैयत यथा श्री कैलाश रजक द्वारा दी गयी राशि उन दोनों के निजी कार्य से संबंधित है। आगे अंकित किया गया है कि इन तथ्यों के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य से यह स्पष्ट होने पर कि उनके द्वारा मात्र द्वितीय पदाधिकारी के मंतव्य को अग्रसारित किया गया है, जबकि वर्णित मामले में उनके स्वयं का जांच/मंतव्य भेजा जाना चाहिए था। इस आलोक में पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 9012 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी। उपरोक्त आदेश के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 893 दिनांक 24.11.2023 द्वारा मंतव्य दिया गया है कि "श्री कुमार का कार्य संतोषजनक है तथा रूपये लेन–देन संबंधी वायरल विडियो उक्त दोनों व्यक्तियों के ब्यान एवं शपथ पत्र के आधार पर निजी मामला साबित होता है, संबंधित अमीन को मुक्त किया जा सकता है।"

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण पर बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में रक्षित साक्ष्य प्रदर्श के अवलोकन किया गया। बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में इन्हें आरोप से मुक्त करते हुए कार्यहित तत्काल प्रभाव से इनका स्थानान्तरण बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा में किया जाता है।

2. स्थानान्तरण आदेश R2R Software से निर्गत किया जाएगा।

(जय सिंह) 24.1.24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(कटिहार)–76/2020...489... **पटना, दिनांक** :–24/01/2024

प्रतिलिपि :– श्री प्रभाकर कुमार, विषेश सर्वेक्षण अमीन (AEN01585), बंदोबस्त कार्यालय, कटिहार को सूचनार्थ प्रेशित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(कटिहार)–76/2020 489 **पटना, दिनांक** :– 24/01/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(कटिहार)–76/2020 489 **पटना, दिनांक** :– 24/01/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप